**उत्तर प्रदेश शासन**
**वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1**
**संख्या: 2/2025/बी-1-164 /दस-2025-15/2003**
**लखनऊ : दिनाँक : 23 जनवरी, 2025**

**कार्यालय-ज्ञाप**

आय-व्ययक की विभिन्न अनुदानों में व्यय के अनुमानों को निर्धारित संगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, आय-व्ययक को और अधिक सूचनाप्रद बनाने तथा व्यय को अधिकाधिक युक्तिसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2025-2026 से निम्नांकित दो नई मानक मद खोले जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं-

**"63-सामाजिक पेंशन"**

**"64-रिसर्च एण्ड डेवलपमेंन्ट"**

मानक मद "63- सामाजिक पेंशन" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सामाजिक पेशनों पर होने वाले व्यय हेतु बजट प्रावधान कराये जायेंगे।

मानक मद "64-रिसर्च एण्ड डेवलपमेंन्ट" के अन्तर्गत अनुसन्धान एवं विकास के सम्बन्ध में होने वाले व्यय हेतु बजट प्रावधान कराये जायेंगे।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त।

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या- 2/2025/बी-1-164 (1) /दस-2025-15/2003 तददिनाँक**

प्रतिलिपि, निम्नलिखत को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in